



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1941 (श0)
(सं० पटना 179) पटना, मंगलवार, 3 मार्च 2020

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

2 मार्च 2020

सं० वि०सं०वि०-03/2020-430/वि०सं०--“बिहार विनियोग विधेयक, 2020”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-02 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक को भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखाया गया है और उसके बाद लकीर देकर बिहार विधान सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

[विधेयक संख्या-वि०सं०वि-01/2020]

आदेश से,
बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव।

बिहार विनियोग विधेयक, 2020

[वि०स०वि०-01/2020]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह 01 अप्रैल 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2019-20 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 8868,52,58,000 (आठ हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ बावन लाख अठावन हजार) रुपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 8868,52,58,000 (आठ हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ बावन लाख अठावन हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे।

3. विनियोग।- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	1,44,47,17,000	0	1,44,47,17,000
		पूंजी	0	0	0
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	18,88,67,000	0	18,88,67,000
		पूंजी	0	0	0
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	6,49,00,000	0	6,49,00,000
		पूंजी	96,86,23,000	0	96,86,23,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	56,00,000	0	56,00,000
		पूंजी	0	0	0
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	30,00,000	30,00,000
		पूंजी	0	0	0
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
7	निगरानी विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	45,88,000	0	45,88,000
		पूंजी	0	0	0
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,73,38,03,000	0	1,73,38,03,000
		पूंजी	78,02,30,000	0	78,02,30,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	31,74,000	0	31,74,000
		पूंजी	0	0	0
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	23,00,000	0	23,00,000
		पूंजी	0	0	0
12	वित्त विभाग	राजस्व	78,01,000	0	78,01,000
		पूंजी	63,59,00,000	0	63,59,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
15	पेंशन	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	10,00,00,00,000	0	10,00,00,00,000
		पूंजी	0	0	0
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	65,14,000	0	65,14,000
		पूंजी	0	0	0
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	3,58,67,000	0	3,58,67,000
		पूंजी	35,12,89,000	0	35,12,89,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	5,46,01,38,000	0	5,46,01,38,000
		पूंजी	0	0	0
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	9,66,59,17,000	0	9,66,59,17,000
		पूंजी	0	0	0

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
22	गृह विभाग	राजस्व	13,91,27,000	0	13,91,27,000
		पूंजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	52,52,32,000	0	52,52,32,000
		पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	8,91,18,000	0	8,91,18,000
		पूंजी	15,82,00,000	0	15,82,00,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	13,88,97,000	0	13,88,97,000
		पूंजी	0	0	0
27	विधि विभाग	राजस्व	3,37,50,000	0	3,37,50,000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	37,12,000	0	37,12,000
		पूंजी	0	0	0
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	2,00,000	0	2,00,000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	23,00,000	0	23,00,000
		पूंजी	33,000	0	33,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	45,68,00,000	0	45,68,00,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	13,15,00,000	0	13,15,00,000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	11,17,00,00,000	0	11,17,00,00,000
		पूंजी	0	0	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	8,76,95,000	0	8,76,95,000
		पूंजी	0	0	0
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	1,50,00,00,000	0	1,50,00,00,000
		पूंजी	3000	0	3000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	22,76,80,10,000	0	22,76,80,10,000
		पूंजी	0	0	0
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000
		पूंजी	0	0	0
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	23,00,000	0	23,00,000
		पूंजी	0	0	0
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	9,16,30,000	0	9,16,30,000
		पूंजी	0	0	0
47	परिवहन विभाग	राजस्व	2,000	0	2,000
		पूंजी	0	0	0

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	33,81,41,000	0	33,81,41,000
		पूंजी	0	0	0
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	4,08,00,000	0	4,08,00,000
		पूंजी	14,78,52,10,000	0	14,78,52,10,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	2,69,00,000	0	2,69,00,000
		पूंजी	0	0	0
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	3,58,14,70,000	0	3,58,14,70,000
		पूंजी	0	0	0
योग राजस्व			69,39,59,70,000	30,00,000	69,39,89,70,000
योग पूंजी			19,28,62,88,000	0	19,28,62,88,000
महायोग			88,68,22,58,000	30,00,000	88,68,52,58,000

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2019 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 88,68,52,58,000 (आठ हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ बावन लाख अठावन हजार) रुपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।

सुशील कुमार मोदी,
भार-साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक-02.03.2020

सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 179-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>